* ओ३म् *

गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगड़ी के पुस्तकालयार्थ सप्रेम समर्पित धर्मदेव वि.वा. १०-३-८६

हमारी राष्ट्रभाषा

लेखक
श्री पं० धर्मदेव जी वि...
सम्पादक 'सार्वदे...

प्रधान—केन्द्रीय हिन्दी रक्षा समिति देहली

जनवरी १६४६

मूल्य =)

प्रकाशक—

केन्द्रीय हिन्दी रक्षा समिति
देहली

मुद्रक—

ला० सेवाराम चावला
चन्द्र प्रिंन्टिग प्रेस,
नया बाज़ार, देहली।

ओ३म्

हमारी राष्ट्र-भाषा

ओ३म् इडा सरस्वती मही तिस्रो देवीर्मयोभुवः। बर्हिः सीदन्त्वस्रिधः।
ऋ० १।१३।९

राष्ट्रभाषा की आवश्यकता

किसी भी राष्ट्र की वास्तविक उन्नति और उसके समस्त निवासियों में सच्चा प्रेम, संगठन और एकता की भावना को भरने के लिये एक राष्ट्रभाषा का होना आवश्यक है इस बात से कोई बुद्धिमान् इन्कार नहीं कर सकता। जहां लोग एक दूसरे की बात को समझ ही नहीं सकते वहां उनमें पारस्परिक प्रेम और सहयोग की भावना उत्पन्न होना असम्भव है। आर्यावर्त के प्राचीन इतिहास के पढ़ने से स्पष्ट ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में संस्कृत भाषा ऐसी थी जिसको सब लोग समझते और जिसके अन्दर वे सब व्यवहार करते थे। बाल्मीकि रामायण में उस संस्कृत भाषा के ही द्विजी और मानुषी ऐसे दो भेदों का निर्देश पाया जाता है। समस्त भारतवासियों की भाषा होने के कारण ही संस्कृत भाषा को भारती के नाम से भी पुकारा जाता था। धीरे २ इस भाषा में कई विकार वा अपभ्रंश होते गये और वह प्राकृत के नाम से प्रचलित हो गई जिसको अशिक्षित वा सामान्य शिक्षित नर नारियां प्रयोग में लाती थीं। उसके फिर शौरसैनी,

मागधी पाली आदि अनेक भेद होते गये। भारत की वर्तमान अवस्था को ध्यान में रखते हुए हमारी राष्ट्र-भाषा कौनसी है जिस को पूर्णतया हमें अपनाना चाहिये और जिसका प्रसार समस्त राष्ट्रवासियों को एक सूत्र में पिरोने के लिये करना चाहिये यह अत्यन्त आवश्यक प्रश्न है जो देशभक्तों के सम्मुख उपस्थित है और जिस पर गम्भीरता पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। धारा-सभा, राष्ट्रीय महासभा (कांग्रेस), अखिल भारतीय राष्ट्रीयसमिति तथा अन्य सभा-सम्मेलनों के अवसर पर जहां भारत के प्रत्येक प्रान्त के निवासी एकत्रित होकर समस्त भारत की राष्ट्रीय समस्याओं और उन्नति विषयक प्रश्नों पर विचार करने बैठते हैं यह राष्ट्र भाषा की समस्या उग्र और नग्नरूप में उपस्थित हो जाती है। इस बात को तो कोई देशभक्त एक क्षण के लिये भी मानने को उद्यत न होगा कि अंग्रेज़ी जैसी किसी विदेशी भाषा को हम भारतीय राष्ट्र भाषा के रूप में मान लें और उसमें अपना समस्त कार्यकलाप करें। ऐसा मानना राष्ट्रीयता की भावना पर कुठाराघात करना और दासमनोवृत्ति की पराकाष्ठा का सूचक होगा। इसके अतिरिक्त यह जानते हुए कि भारत में लगभग २०० वर्षों से अंग्रेज़ों का राज्य होते हुए भी शिक्षितों की संख्या ही १० प्रतिशतक है और उस पर भी अंग्रेज़ी जानने वालों की संख्या केवल ३ प्रतिशतक है इस प्रकार का प्रस्ताव ही सर्वथा मूर्खतापूर्ण होगा। तो फिर भारत की राष्ट्र भाषा कौनसी हो सकती है? हिन्दी, उर्दू और हिन्दुस्तानी उनमें से किसके दावे को पक्षपात

रहित होकर स्वीकार किया जा सकता है इस बात का गम्भीरता से विचार करना और एक निर्णय पर पहुंच कर दृढ़ता से उसके प्रसारार्थ समस्त शक्ति को लगा देना राष्ट्रहित की दृष्टि से अत्यावश्यक है। पूर्व इसके कि हम हिन्दी, उर्दू और हिन्दुस्तानी के राष्ट्रभाषा विषयक दावों की परीक्षा करें यह जान लेना आवश्यक है कि राष्ट्र भाषा की कसौटियां क्या हैं ? कौन सी भाषा राष्ट्रभाषा कहला सकती है ?

राष्ट्रभाषा की कसौटियां

(१) किसी देश की राष्ट्र भाषा वही हो सकती है जिसका उद्गम उसी देश का हो अर्थात् जो विदेश से लाकर उस देश पर न थोपी गई हो।

(२) राष्ट्रभाषा के रूप में उसी भाषा को स्वीकार किया जा सकता है जिसको बोलने या समझने वालों की संख्या उस देश में अन्य भाषाभाषियों की अपेक्षा बहुत अधिक हो तथा इस कारण जिसे अन्य प्रान्तीय भाषा भाषी भी सुगमता से सीख सकें।

(३) राष्ट्रभाषा उसी को माना जा सकता है जिसका उस राष्ट्र की संस्कृति और प्राचीन साहित्य के साथ विशेष सम्बन्ध हो।

इन सब दृष्टियों से विचार करने पर हिन्दी भाषा को ही (जिसे स्वनामधन्य सुधारक शिरोमणि महर्षि दयानन्दजी सरस्वती ने आर्य भाषा के नाम से पुकारा था) राष्ट्र भाषा के रूप में

मानना सब से अधिक संगत प्रतीत होता है। हमें बड़ी प्रसन्नता होती यदि सब भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा का आजकल भी वैसा ही प्रचार होता जैसा प्राचीनकाल में था जबकि साधारण जुलाहे भी 'काव्यं करोमि नहि चारु तरं करोमि, यत्नात्करोमि यदि चारु तरं करोमि। भूपालमौलिमणिमण्डितपाद पीठ, हे साहसाङ्क कवयामि वयामि यामि॥ जैसी सुन्दर रचना संस्कृत में कर सकते थे और जब लकड़हारे भी भोज महाराज जैसे अद्भुत संस्कृत प्रेमी के मुख से 'भारो बाधति' इस प्रकार के संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध प्रयोग को सुनकर बड़ी निर्भयता से 'भारो न बाधते राजन, यथा बाधति बाधते' जैसा उत्तर दे सकते थे किन्तु दुर्भाग्यवश आज अवस्था सर्वथा परिवर्तित हो चुकी है और मध्यकाल के श्रीशंकराचार्य, श्री रामानुजाचार्य, श्री मध्वाचार्य, श्री निम्बार्काचार्य, श्री वल्लभाचार्य आदि आचार्यों और, महर्षि दयानन्दजी जैसे महानुभावों के संस्कृत भाषा के उद्धारार्थ विशेष प्रयत्न करने पर भी ऐसी स्थिति नहीं कि संस्कृत भाषा राष्ट्र भाषा का स्थान ले सके किन्तु यह बात निश्चित है कि कोई संस्कृतनिष्ठ भाषा ही भारत में राष्ट्र भाषा का स्थान ले सकती है अन्य नहीं, क्योंकि भारत में बोली जाने वाली सभी भाषाओं का संस्कृत से घनिष्ठ सम्बन्ध है, उर्दू अर्बी आदि भाषाओं से नहीं। विषय अत्यावश्यक होने के कारण हम इसके स्पष्टीकरणार्थ बंगाली, गुजराती, मराठी, पंजाबी, मारवाड़ी, कन्नडी, मलयालम, तिलगु, तामिल आदि भाषाओं के

संस्कृत से सम्बन्ध द्योतक रचनाओं के उदाहरण देते हैं जिनसे इस विषय की यथार्थता में किसी को अणुमात्र भी सन्देह नहीं रहेगा कि सब भारतीय भाषाओं का संस्कृत से विशेष सम्बन्ध है और उसके शब्दों की जिसमें प्रधानता हो ऐसी भाषा ही भारत में राष्ट्रभाषा बन सकती है। सब से प्रथम हम बंगाली भाषा के कुछ पद्य लेते हैं । स्व० श्री बङ्किमचन्द्र चट्टोपाध्याय के 'वन्दे मातरम्' नामक स्फूर्तिदायक सुन्दर गीत को कौन देशभक्त भारतीय नहीं जानता ?

सुजलां सुफलां मलयजशीतलां, शस्यश्यामलां मातरम्
शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनीं, फुल्लकुसुमितद्रुमदल शोभिनीम्
सुहासिनीं सुमधुर भाषिणीं, सुखदां वरदां मातरम्। वन्दे मातरम्
इत्यादि शुद्ध संस्कृत के शब्द इस सुन्दर राष्ट्रीय गीत में भरे हुए हैं। इसी प्रकार स्व० कवीन्द्र रवीन्द्रनाथ ठाकुर की गीताञ्जलि के निम्न गीत को देखिये—

आमार सकल अंगे तोमार परश
लग्न हये रहियाछे रजनी दिवस
प्राणेश्वर एइ कथा नित्य मने आनि
राखिब पवित्र करि मोर तनु खानि।
मने तुमि विराजिछ, हे परम ज्ञान
एइ कथा सदा स्मरि, मोर सर्व ध्यान।
सर्व चिन्ता हते आमि सर्व चेष्टा करि
सर्व मिथ्या राखि दिव दूरे परिहरि॥

इसमें सकल, अंग, लग्न, कथा, नित्य, मन, पवित्र, तनु, परमज्ञान, सर्व, ध्यान, चिन्ता, चेष्टा, मिथ्या, दूर, रजनी दिवस आदि शुद्ध संस्कृत तथा परश, विराजिछ, परिहरि आदि तत्सम-शब्द हैं जिनका हिन्दी में भी प्रयोग होता है।

ऐसे ही 'बहे निरन्तर अनन्त आनन्द धारा
बाजे असीम नभ माझे अनादि रव
जागे अगण्य रविचन्द्र तारा
ऐकैक अखण्ड ब्रह्माण्डराज्ये
परम एक सेइ राज राजेन्द्र राजे
विस्मित निमेषहत विश्वचरणे विन्नत
लक्ष शत भक्त चित वाक्य हारा ॥

इत्यादि बंगाली गीतों को लिया जा सकता है जिनको संस्कृत हिन्दी जानने वाले बड़ी सुगमता से समझ सकते हैं। बंगाल के मुसल्मान भी बंगाली बोलते हैं उर्दू नहीं, यह सब जानते हैं। बंगाली में कम से कम ७५ प्रतिशतक संस्कृत शब्दों का जो-हिन्दी भाषा में भी प्रचलित हैं, प्रयोग होता है।

अब मराठी का संस्कृत, हिन्दी से सम्बन्ध जानने के लिये उदाहरणार्थ निम्न प्रकार के गीतों को लीजिये—

पवित्र तें कुल पावन तो देश, जेतें हरिचे दास जन्म घेंती।
कर्म-धर्म त्यांचे जाला नारायण, त्याचेनि पावन तिन्हीं लोक।
यातायाति धर्म नाहीं विष्णुदासा, निर्णय हा ऐसा वेदशास्त्री।
तुका ह्मणें तुम्हीं विचारावे ग्रन्थ, तारिले पतित नेणों किती ॥

इत्यादि श्री सन्त तुकाराम जी के अभङ्गों में पवित्र, कुल, देश, जन्म, हरिदास कर्म-धर्म नारायण, पावन, लोक निर्णय, यातायात, ग्रंथ, पतित आदि सैंकड़ों संस्कृत, हिन्दी में पाये जाने वाले शब्द पाये जाते हैं जिन्हें हिन्दी-भाषी बड़ी सुगमता से समझ सकते हैं।

गुजराती का संस्कृत, हिन्दी से कितना निकट सम्बन्ध है यह जानने के लिए निम्न प्रकार के गुजराती भजनों को उदाहरणार्थ लीजिए जो सुप्रसिद्ध होने के कारण घर-घर में बोले जाते हैं।

बैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाणे रे
पर दुःखे उपकार करे तोये, मन अभिमान न आने रे ॥
समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, परस्त्री जेने मात रे।
जिह्वा थकी असत्य न बोले, पर धन नव झाले हाथ रे ॥
वण लोभी ने कपट रहित छे, काम क्रोध निवार्या छे।
भणे नर सैंयां तेनु दरसन करता, कुल एको तेर तार्या रे ॥

इसमें वैष्णव जन, पीड़ा, पर दुःख, उपकार, मन, अभिमान, समदृष्टि, तृष्णा, त्याग, परस्त्री, माता, जिह्वा, असत्य, धन, लोभी, कपट रहित, काम, क्रोध, कुल आदि शुद्ध संस्कृत और दरसन, पराई, निवार्या, हाथ आदि तद्भव शब्द हैं जिनका हिंदी में भी साधारणतया प्रयोग होता है यह बतलाने की आवश्यकता नहीं ॥

अब पंजाब में प्रचलित गुरु मुखी का—जिसमें सिक्खों के

मान्य धर्म ग्रंथ हैं—संस्कृत हिंदी से निकट सम्बन्ध जानने के लिए सुखमनी के निम्न वाक्यों को लीजिए।

सिमरउ सिमर-सिमर सुख पावउ
कलि कलेस तन माहि मिटावउ॥
सिमरउ जासु विस्वंभर एकै
नाम जपत अगनत अनेकै॥ सुखमनी पृ० १
ब्रह्मज्ञानी सदा निरलेप
जैसे जल महि कमल अलेप।
ब्रह्मज्ञानी सदा निर दोख
जैसे सूर सरब कउ सोख॥
ब्रह्मज्ञानी का इहै गुनाउ
नानक जिउ पावकका सहज सुभाउ॥ सुखमनी (हिंदी) पृ० ५६-५

यहां सुख, जल, कमल, पावक, ज्ञानी, सहज आदि शुद्ध संस्कृत के और सिमर, तन, विस्वंभर (विश्वम्भर) निरलेप, निरदोख (निर्दोष) सुभाव (स्वभाव) आदि तत्सम शब्दों की भरमार है जिसे संस्कृत हिंदी जानने वाले बड़ी आसानी से समझ सकते हैं।

मारवाड़ी का संस्कृत हिंदी के साथ सम्बन्ध "अनुकम्पा ढाल" के निम्न प्रकार के वचनों से जाना जा सकता है।

दया दया सबको कहैं, ते दया धर्म छै ठीक।
दया ओलखने पालसी, त्यांने मुक्ति नजीक॥
दया तो पहलो व्रत छै, साधु श्रावकरो धर्म।
पाप रुकै जासूं आवता, नवा न लागै कर्म॥ २

छः काय हणै हणावै नहीं, हणतां भलो न जाणै ताय।
मन बचन काया करी ए दया कही जिन राय ॥ ३

अनुकम्पाढाल ७म

यहाँ भी दया, धर्म, मुक्ति, साधु, श्रावक, व्रत, पाप, मन, वचन आदि संस्कृत हिंदी में प्रचलित शब्दों की भरमार है। इसी प्रकार के उदाहरण पंजाबी, मुलतानी, सिन्धी, उड़िया आदि भाषाओं के संस्कृत हिंदी से सम्बन्ध द्योतक दिये जा सकते हैं किन्तु विस्तारभय से उन्हें देना अनावश्यक है। अब हम दक्षिण भारत की भाषाओं को लेते हैं जिनके विषय में प्रायः कहा जाता है कि इनका संस्कृत के साथ कोई सम्बन्ध नहीं। मेरा दक्षिण भारत में लगभग २० वर्ष के निवास का अपना अनुभव सिद्ध विचार यह है कि ऐसी धारणा जो उत्तर भारत में प्रायः प्रचलित है सर्वथा अशुद्ध है। सबसे पहिले मैं कर्णाटक भाषा (कन्नड़ी) को लेता हूँ जिसमें बोलने और लिखने का मैंने विशेषरूप से अभ्यास किया था। यह उद्धरण उत्तरादि मठ के स्वामी श्री सत्यध्यान 'तीर्थकृत अद्वैत मत विचार' नामक पुस्तक से है जो देवनागरी लिपि में छपी है।

ई जगत्तिनल्लि सर्वदा सुखवे नमगागलि दुःखवु स्वल्पवादरू बेडेंदु सर्वरिन्दलू प्रार्थ्यमानवाद सुखवु जीवन स्वरूपवागिद्दरू अदर मेले प्रकृति रूपवाद वन्ध (आवरण) इरुवदरिन्द अनुभवक्के बारदे जीवरु बन्दोन्दु जन्मदल्लि अनेक जन्मापादक-कर्मगलन्नु माडुत्त-माडुत्त आकर्मगलिद सम्पादित देहानुभवद

कालदल्लि नानाविध दुःखवन्नु अनुभविसुव जीवर दुःखनिवृत्ति-गोस्कर श्रवण, मनन, निदिध्यासनादि साधन गळन्नु उपदेशिसुव वेदगळ अनुसारवागि भगवदर्पण बुद्धियिंद सदाचार गळन्नु माड़ि अन्तःकरण शुद्धियन्नु होंदि परमात्मन गुणगळन्नु श्रवण माड़ि आ विषयदल्लि अनेक वादिगळ विवाद मूलक बरुव सन्देहद निवृत्तिया गुवदर सलुवागि 'ब्रह्ममीमांसा' शास्त्रोक्त प्रकार विचारदिन्द तत्व निश्चय माड़िकोंडु जीवनु अत्यय्य सुख वन्नु अनुभविसतक्कद्देन्दु श्री-श्रीगळवरु उपदेशवन्नु माड़िदरु ॥

(अद्वैत मत विचार पृ० १-२

इस सन्दर्भ में जगत्, सर्वदा, सुख, दुःख, स्वल्प, सर्व, प्रार्थ्यमान, जीव, स्वरूप, प्रकृति, बन्ध, आवरण, अनुभव, जन्म, अनेक जन्मापादक कर्म, देह, नानाविध, निवृत्त, श्रवण, मनन, निदिध्यासन, अन्तःकरण, भगवदर्पण, बुद्धि, सदाचार, परमात्मा, विषय, विवाद, विचार, तत्व, निश्चय, अत्यय्य, उपदेश आदि शुद्ध संस्कृत के शब्द हैं जिनमें से सभी का हिंदी-भाषा में भी प्रयोग होता है यह बतलाने की आवश्यकता नहीं। मेरा विचार है कि कर्णाटक भाषा में कम-से-कम ६५ प्रतिशतक संस्कृत के शब्दों का प्रयोग पाया जाता है। आन्ध्र भाषा (तिलगू) और मलयालम में तो यह संस्कृत शब्दों का प्रयोग इससे भी अधिक ७५ प्रतिशतक के लगभग है। रामायण-महाभारत, भागवत आदि के तिलगू और मलयालम के अनुवाद पढ़ते और सुनते हुए ऐसे प्रतीत होता है कि हम संस्कृत ग्रंथों

को पढ़ या सुन रहे हों। उदाहरणार्थ एक आन्ध्र भाषा (तिलगू) का श्लोक सुनिये।

दानमु भोगमु नाशमु द्दूनिकतो मुडुगतल्लू भुवि धनमुनकम्।
दानमु भोगमु निरूगने दीननि धनमुनक गति तृतीयमे पोसगुन्॥

यहाँ दान, भोग, नाश, भुवि, धनम्, तृतीय, गति, आदि शुद्ध संस्कृत के शब्दों का प्रयोग जो हिन्दी भाषा में भी सर्वत्र प्रचलित हैं सर्वथा स्पष्ट है। इसी प्रकार पानी के लिये नीरु संस्कृत नीरम्) भात के लिये अन्नमु, भोजन के लिये भोजनमु, जल्दी के लिए त्वरगा अथवा शीघ्रमुगा, साफ़ के लिए स्वच्छमु, कपड़े के लिए वस्त्रमु, पुस्तक के लिए पुस्तकमु, दीये के लिए दीपमु, ग्राम के लिए ग्राममु आदि संस्कृत शब्दों का तिलगू में प्रयोग होता है।

आन्ध्र भाषा के संस्कृत के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध जानने के लिए निम्न पद्य भी उद्धृत करने योग्य है।

सदा शिवं शिखाग्रमध्ये प्रणवमूल ज्योति।
हृदयपुण्डरीकममलं नित्य परं ज्योति॥
अङ्गुष्ठमात्र परम पुरुष दिव्य परं ज्योति।
शृङ्ग मध्ये शुंशुमार नित्य परं ज्योति॥
वासना क्षयादि त्रिगुणातीत नीलं ज्योति।
सासिरारु जलज्ज्योति साम्ब शिव स्वरूपा॥
मात्रिकाक्षराग्र राम तारकाग्नि तेजसे।
नित्य मङ्गलाङ्गमूल प्रणव मन्त्र स्वरूपिणे॥

दरबार राग श्री षडक्षरी दीक्षित प्रणीत

तामिल को सर्वथा अनार्य भाषा समझा जाता है और इसका संस्कृत से किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं माना जाता किन्तु यह विचार भी सर्वथा अशुद्ध है। तामिल की पुस्तकों में "श्री राम मिथुलिम। नगर चेड्डू शिवधनुषै अतिशीघ्र वड़ैथु जनक पुत्रि सीता देव्यै विवाहं चेदुकोण्डार। विवाहं मुदिन्ददूं प्रजैकल दम्पतिकुलै अति संतोष तुड़न अंगि हारं शैदनत्" इत्यादि वाक्य पाये जाते हैं जिनमें नगर, शिवधनुष, अतिशीघ्रम, विवाह, प्रजा, दम्पति, संतोष आदि संस्कृत शब्दों का प्रयोग स्पष्ट है इसी प्रकार ग्रामम्, पट्टणम (पत्तनम्–शहर) जलम, दूरम, पुस्तकम्, अदिहम् (अधिकम्) पशु, मात्रम् (केवल) आमाम् (आम्-हां) इत्यादि हज़ारों संस्कृत के शब्द पाये जाते हैं। जिनका अनुपात कम से कम ५० प्रतिशतक होगा।

भारतीय प्रसिद्ध भाषाओं के इस सिंहावलोकन से इस बात में ज़रा भी संदेह नहीं रहता कि संस्कृत निष्ठ हिन्दी ही भारत की राष्ट्र भाषा हो सकती है क्योंकि संस्कृत के शब्द सभी भारतीय भाषाओं में बहुत बड़ी संख्या में पाये जाते हैं जिनका हिन्दी भाषा में भी वैसा ही प्रयोग होता है। सन् १९३१ के सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत के ३५ करोड़ मनुष्यों में से १२०२३६००० मनुष्य हिन्दी बोलते और ११ करोड़ हिन्दी को समझने वाले थे अर्थात हिन्दी समझने वालों की संख्या लग-भग २३ करोड़ व ६७ प्रतिशतक थी। इस प्रकार का दावा भारत की और किसी भाषा के विषय में नही किया जा सकता।

सन १९४१ के जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं उनके अनुसार भारत में भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने वालों की संख्या निम्न प्रकार है।

हिन्दी	१३ करोड़	९३ लाख
बंगला	४ करोड़	९३ लाख
तेलगू	२ करोड़	३६ लाख
मराठी और तामिल	१ करोड़	८८ लाख
कन्नड़ी	१ करोड़	३ लाख
उड़िया	१ करोड़	१ लाख
गुजराती		९६ लाख
अंग्रेजी		३ लाख

इस प्रकार भी संस्कृत निष्ठ हिन्दी का राष्ट्र भाषा होने का दावा सर्वथा पुष्ट होता है। श्री पं० जवाहरलाल जी ने "भाषाओं का प्रश्न" बिषयक अपने लेख में कहा है कि 'भारत के नगरों में उर्दू बोली जाती है और देहातों में हिन्दी। उर्दू केवल नगरों की भाषा है और हिन्दी नगर और गाँव दोनों की।'

यद्यपि यह उपर्युक्त कथन भी केवल उत्तर भारत के कुछ शहरों पर ही लागू होता है अन्यत्र नहीं पर इससे भी हिन्दी भाषा का राष्ट्र भाषा का दावा पुष्ट होता है क्योंकि भारत में १० हजार नगर और ७ लाख गाँव हैं। भारत की चौथाई जन संख्या नगरों में और तीन चौथाई गांवों में रहती है। अब आप ही सोचिये कि भारत की साधारण जनता अधिकतर कौन सी भाषा बोल या समझ सकती है।

जो लोग अरबी फ़ारसी शब्दों से लदी उर्दू को राष्ट्र भाषा बनाने के पक्षपाती हैं (जिस दावे की निस्सारता उपर्युक्त विवेचन से सर्वथा स्पष्ट है क्योंकि बंगाली, गुजराती, मराठी, पंजाबी मारवाड़ी, गुरु मुखी आदि भाषाओं का अरबी फारसी व उर्दू से कोई सम्बंध नहीं) उनकी ओर से कई बार यह कहा जाता है कि हिंदी राष्ट्र भाषा (कौमी ज़बान) इसलिये नहीं बन सकती क्योंकि वह सिर्फ हिंदुओं की ज़बान है पर यह बात भी ऐतिहासिक तथा साहित्यिक दृष्टि से विचार करने पर सर्वथा अशुद्ध प्रमाणित होती है। वर्तमान संस्कृतनिष्ठ हिंन्दी के निर्माण और विस्तार में मुसलमान लेखकों और कवियों का भी बहुत बड़ा भाग रहा है। प्रायः यह माना जाता है कि हिन्दी यह नाम भी मुसलमानों का ही रक्खा हुआ है। मीर खुसरो ने हिन्दी का जो कोष बनाया था उसमें संस्कृत के कठिन २ शब्द भी पाये जाते हैं। सय्यद इन्शा अल्लाखाँ जैसे कट्टर मुसल्मान ने जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया उसके निम्न नमूने ध्यान में रखने योग्य हैं:—

"सिर झुका कर नाक रगड़ता हूँ उस अपने बनाने वाले के सामने जिसने हम सब को बनाया और बात की बात में वह कर दिखाया कि जिसका भेद किसी ने न पाया।"

"इस सिर झुकाने के साथ ही दिनरात जपता हूँ उस अपने दाता के भेजे हुए प्यारे को जिसके लिए यों कहा है कि 'जो तू न होता तो मैं कुछ न बनाता।"

"किसी देश में किसी राजा के घर एक बेटा था। उसे उसके मां बाप और सब घर के लोग कुंवर उदयभान कह कर पुकारते थे। सचमुच उसके जीवन की जोत में सूरज की एक सोत आ मिली थी उसका अच्छापन और भला लगना कुछ ऐसा न था जो किसी के लिखने और कहने में आ सके" (हिन्दवी छुट)

इसमें दिनरात, जपता, दाता, राजा, जोबन (यौवन) जोत (ज्योति) सोत (स्रोत) आदि संस्कृत के अथवा तद्भव शब्द बहुत बड़ी संख्या में पाये जाते हैं अरबी फ़ारसी के शब्द नहीं।

रसखान नामक तुर्क की (जो १५८३ से १६२८ सन् तक रहा) रचना में हिन्दी के लालित्य को देखकर किस को आश्चर्य न होगा ? श्री कृष्ण की भक्ति में मस्त होकर वे लिखते हैं:—

'पाहन हौं तो वही गिरि को, जो धरयो कर छत्र पुरन्दर कारन।
जो खग हौं तो बसेरो करौं, मिलि कालिन्दी कूल कदम्बकी डारन॥
बैन वही उनको गुन गाइ औ कान वही उन बैन सों सानी।
हाथ वही उन गात सरैं, अरु पाइ वही जु वही अनुजानी॥
जान वही उन प्रान के संग, औ मान वही जो करै मनमानी।
त्यों रसखानि वही रसखानि, जु है रसखानि सो है रसखानी॥

(भक्ति कुसुमाञ्जलि पं० लक्ष्मीधर शास्त्री एम. ए. कृत पृ ३० में उद्धृत)

इस में गिरि, कर, छत्र, पुरन्दर, खग, कालिन्दी, कूल, कदम्ब, सङ्ग, मान और शुद्ध संस्कृत और पाहन (पाषाण) धारन, गात, प्रान, आदि तत्सम शब्दों का प्रयोग दर्शनीय है।

इसी प्रकार सम्राट् अकबर के सेनापति अब्दुल रहीम ख़ान (१५८३ से १६२८ सन् तक) की निम्न प्रकार की रचनाएं हिन्दी भाषा के सौन्दर्य की दृष्टि से उल्लेखनीय हैं।

तरुवर फल नहिं खात हैं, सरवर पियहिं न पान।
कहि रहीम पर काज हित, सम्पति सुचहि सुजान ॥
जिहि रहीम चित आपनो, कीन्हों चतुर चकोर।
निशिवासर लागे रहौ, कृष्णचन्द की ओर ॥

यहां तरुवर, फल, सरवर, सम्पत्ति, चकोर, चित, निशि-वासर, आदि संस्कृत अथवा तद्भव शब्दों की कैसी सुन्दर छटा है। ऐसी ही मुहम्मद जायसी की रचनाओं में है। कबीर जी का जन्म से मुसलमान होना अत्यन्त सन्दिग्ध होने के कारण उनकी सुन्दर रचनाओं का उल्लेख इस प्रसङ्ग में जान बूझकर नहीं किया गया। इन उपर्युक्त तथा अन्य खुसरो आदि अनेक उत्तम लेखकों और कवियों द्वारा हिन्दी भाषा के साहित्य को जो गौरव प्राप्त हुआ है इसके लिये सबको उनके प्रति विशेष रूप से कृतज्ञ होना चाहिए। इनकी ललित रचनाएँ 'हिन्दी सिर्फ हिंदुओं की ज़बान है' ऐसा मानने वालों का मुंह तोड़ जवाब है।

वर्तमान मुसलमान हिन्दी लेखकों में श्री जहूरबख़्श का नाम उल्लेखनीय है जो अपनी मनोहर रचनाओंसे हिन्दी भाषाके साहित्य को चमका रहे हैं। उनकी लालित्य पूर्ण हिन्दी रचना के कुछ नमूने हम 'आर्य महिला रत्न' नामक कलकत्ता से प्रकाशित अत्युत्तम पुस्तक से उद्धृत किये बिना नहीं रह सकते।

"भारतवर्ष के आदर्श के विषय में क्या कहा जाये ? जिधर दृष्टि डालिये क्या धार्मिकता, क्या परहित कातरता, क्या वीरता और क्या देशभक्ति सभी के एक से एक बढ़कर आदर्श आपको मिलेंगे जिनकी उपमा संसार में और कहीं नही मिलती। ये आदर्श केवल पुरुषों में ही नहीं, स्त्रियों में भी पाये जाते हैं। संसार जानता है कि भारतवर्ष के समान पवित्र आचरण वाली सती, साध्वी स्त्रियां और किसी भी देश में नहीं हुईं। भारतवर्ष के लिये यह बड़े गौरव का विषय है कि उसकी पुत्रियों ने समय समय पर अपने पति, देश और धर्म के लिये अपूर्व आत्मत्याग और कष्ट सहिष्णुता का परिचय दिया है। यहां की स्त्रियां केवल पतिव्रता ही नहीं होतीं, वीर और देशभक्त भी होती हैं। महारानी दुर्गावती और लक्ष्मीबाई ने अपनी देशभक्ति का कैसा प्रमाण दिया था, समर क्षेत्र में कैसी वीरता प्रदर्शित की थी— यह कौन नहीं जानता ? यहां की देवियां देश के लिये कैसा आत्म-बलिदान कर सकती हैं यह भी शिक्षित समाज से छिपा नहीं।" इत्यादि (आर्य महिलारत्न पृ० ४७)

इस ललित और हृदयङ्गम हिन्दी की सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता पं० जवाहरलाल नेहरू जी की हिन्दी से तुलना करें तो आकाश पाताल का अंतर दृष्टिगोचर होगा। श्री पं० जवाहरलालजी 'मेरी कहानी' के नाम से श्री हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा अनूदित आत्म-चरित की भूमिका में लिखते हैं 'मेरी कहानी क्या है ? इस में पिछले कुछ बरसों की ख़ास २ घटनाओं का संग्रह नहीं है, इसके

लिखने का यह मकसद था भी नहीं। यह तो समय समय परमेरे अपने मन में उठने वाले ख़यालात और जज़बात का और बाहरी वाक़यात का उन पर किस तरह और क्या असर पड़ा उसका दिग्दर्शनमात्र है। इसमें मैंने अपने मानसिक विकास को—अपने खयालात के उतार चढ़ाव को—सही चित्रित करने की कोशिश की है। मैं इसमें कहां तक कामयाव हुआ, यह कहना मेरा काम नहीं। लेकिन ख़ास बात यह नहीं है कि क्या गुज़रा, बल्कि यह है कि वह मुझे कैसा लगा और उसका मुझ पर क्या असर पड़ा। यही इस किताब की अच्छाई और बुराई जानने की कसौटी है।" इस सन्दर्भ में यदि मान्य पण्डित जी ख़ास २ की जगह विशेष २ खयालात, जज़बात और वाक़यात की जगह विचार, भावना और घटना तथा मकसद की जगह उद्देश्य शब्द का प्रयोग करते तो उनकी रचना का सौन्दर्य कम न होता बल्कि अधिक ही हो जाता किन्तु हिन्दुस्तानी नामक खिचड़ी भाषा के नाम से जो अधिकतर उर्दू फारसी अरबी शब्दों के अपनाने की प्रवृत्ति अनेक राष्ट्र-नेताओं में चल पड़ी है उसका स्पष्ट परिणाम ऐसे लेखों में दिखाई पड़ रहा है।

श्री पं० जवाहरलाल जी हिन्दी भाषा के प्रामाणिक व उत्तम लेखक होने का दावा भी नहीं करते और न उस पर उनका पूर्ण आधिपत्य है किन्तु श्री हरिभाऊ उपाध्याय जी जैसे अत्यन्त प्रसिद्ध हिन्दी लेखक इस 'हिन्दुस्तानी' के शौक़ में जिस तरह की विचित्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उसका नमूना देखिये।

आप अपनी भूमिका में पुस्तक में प्रयुक्त भाषा के विषय में लिखते हैं:—

'मैं सरल और बोलचाल की भाषा—जिसे पूज्य बापू जी ने 'हिन्दी हिन्दुस्तानी' नाम दिया है और जो असली राष्ट्र-भाषा कही जा सकती है—लिखने का पक्षपाती हूँ। इस पुस्तक के जरिये मैं उसका एक नमूना पेश करना चाहता था। लेकिन अफ़सोस है कि प्रकाशन की जल्दी और अपनी बीमारी की वजह से मैं शुरू से आखीर तक उसे निबाह न सका।··········इसलिए कृपालु पाठकों से मेरा अनुरोध है कि जो भूलें उनकी निगाह में आवें उन पर मेरा ध्यान दिलाने की मिहरबानी करें।·····यह सारी किताब सिर्फ एकाध आख़िरी बात और चन्द मामूली रद्दो-बदल के अलावा जेल में ही लिखी गई है। इसके लिखने का ख़ास मक़सद यह था कि मैं किसी निश्चित काम में लग जाऊँ जो कि जेल जीवन की तनहाई के पहाड़ से दिन काटने के लिये बहुत जरूरी होता है।"

'हिन्दुस्तानी' के नाम से जो खिचड़ी भाषा बनाई जा रही है और उससे शुद्ध संस्कृत बहुल हिन्दी पर जो कुठाराघात किया जा रहा है उसका नमूना कांग्रेस मन्त्रिमण्डल द्वारा बिहार, मद्रास तथा अन्य प्रान्तों में तय्यार कराई गई हिन्दुस्तानी रीडरों में मिल सकता है। बिहार में उस समय के शिक्षा सचिव डा० सय्यद महमूद के नाम से जो 'महमूद सीरीज' की रीडरें छपवाई गईं उनमें श्री रामचन्द्र जी का वृत्तान्त इन शब्दों में था—

"बहुत पुराने ज़माने की बात है कि अयोध्या में दशरथ नाम के एक राजा राज करते थे, उनके राज में रैयत बड़ी खुशी के साथ अपनी ज़िन्दगी बिताती थी। बादशाह इतने अच्छे थे कि वे कभी किसी को किसी चीज़ की तकलीफ़ न होने देते थे। सभी रियाया उन से खुश थी। बादशाह के तीन रानियां थीं।

.......बादशाह ने उन्हें पढ़ाने के लिये एक गुरु बहाल कर दिया। गुरु जी सभी लड़कों के पढ़ाने के तरीके से पूरे वाकिफ़ थे। वे हर घड़ी इन्हें अच्छे रस्ते पर चलने की तालीम देते थे। कुछ ही दिनों में बादशाह के चारों बेटों ने सभी तालीम अच्छी तरह सीखली।

(श्री रामचन्द्र जी पृ० २)

मद्रास सरकार की ओर से जो हिन्दुस्तानी रीडरें बालक बालिकाओं को शिक्षा देनें के लिये तय्यार कराई गई थीं उन में पाठ के स्थान पर सबक़, पुस्तक के स्थान पर 'किताब' अक्षरों के स्थान पर हरूफ़, अभ्यास के स्थान पर मशक और पाठशाला व विद्यालय के स्थान पर मदरसा आदि उर्दू फ़ारसी शब्दों की भरमार देख कर मुझे बड़ा आश्चर्य और दुःख होता था। भाषा को सरल बनाया जाए, जो उर्दू के शब्द बोलचाल की भाषा में बहुत प्रयुक्त होने लगे हैं उन्हें अपना लिया जाए, बुद्धि के स्थान पर शेमुषी जैसे कठिन शब्दों का प्रयोग न किया जाए इससे तो हम सब सहमत हो सकते हैं किन्तु इसका यह अर्थ कदापि न होना चाहिये कि येनकेन प्रकारेण हिन्दू मुस्लिम एकता लाने के राज–

नैतिक उद्देश्य से हिन्दी में से संस्कृत भाषा के शब्दों को चुन २ कर निकाल दिया जाए और उनके स्थान पर अरबी फारसी के शब्दों की भरमार कर दी जाए। मुझे तो 'हिन्दुस्तानी' के नाम से हमारी भाषा को खराब करने की वर्तमान प्रवृत्ति जो अनेक राष्ट्रीय नेताओं के अन्दर पाई जाती है बड़ी घातक प्रतीत होती है। इसके द्वारा अरबी फ़ारसी के शब्दों को हमारी भाषा पर लादा जा रहा है और नाम मात्र के दो चार संस्कृत शब्दों का प्रयोग करके वस्तुतः हिन्दी की हत्या की जा रही है जिसका परिणाम बड़ा भयङ्कर होगा।

हिन्दी में संस्कृत या उसके तत्सम, तद्भव शब्दों की प्रधानता होती है और वह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है इसके विपरीत उर्दू में अरबी फारसी से लिये शब्दों की प्रधानता होती है और वह फ़ारसी लिपि में लिखी जाती है। सैयद इंशा अल्ला खां ने उर्दू के उद्गम के बारे में लिखा था कि 'शाहजहानाबाद के शिष्ट लोगों ने एक मत होकर अन्य अनेक भाषाओं से दिलचस्प शब्दों को चुना और कुछ शब्दों तथा वाक्यों में हेर फेर कर के अन्य भाषाओं से अलग एक नई भाषा बनाली, और उसका नाम उर्दू रख दिया है" इस प्रकार उर्दू विदेशियों वा विधर्मियों विशेषतः मुगल दरबार द्वारा घड़ी हुई भाषा है जो राष्ट्रभाषा कहलाने के सर्वथा अयोग्य है। सर सय्यद अहमद खां ने इसके विषय में लिखा था कि 'जो यह ज़बान ख़ास बादशाही बाज़ारों में मुरव्वज थी इस वास्ते उसको जबान उर्दू कहा करते थे और

बादशाही अमीर उमरा इसी को बोला करते थे गोया कि हिन्दुस्तान के मुसलमानों की यही ज़बान थी ।

(असारुस्सनादीद भाग ४ पृ० ९-१० सन् १८४७)

पर उर्दू के विषय में यह दावा भी अशुद्ध है कि वह ७-८ करोड़ मुसलमानों की भाषा है क्योंकि पंजाब और युक्तप्रान्त के १,१।। करोड़ मुसलमानों को छोड़ कर बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र दक्षिण भारत आदि सब प्रान्तों के मुसलमान अपनी २ प्रान्तीय भाषाएं ही बोलते हैं न कि उर्दू ।

इस प्रसङ्ग में 'हिन्दुस्तानी' के लक्ष्य और स्वरूप पर भी कुछ विचार करना आवश्यक प्रतीत होता है जिसे कांग्रेस के अनेक नेता राष्ट्र भाषा बनाना चाहते हैं। सब जानते हैं कि विहार एक हिन्दी भाषा भाषियों की अधिकता वाला प्रान्त है । श्री बलदेव सहाय जी नामक एक सज्जन ने २४ नवम्बर सन् १९३६ को पटना यूनिवर्सिटी के सीनेट में देशी भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाने पर जोर दिया और हिन्दुस्तानी की व्याख्या भी कुछ ऐसी की गई जिससे बिहार को कुछ महत्व मिल गया । उसमें कहा गया कि—

'हिन्दुस्तानी से इस दफ़ा में वह ज़बान मुराद है जो बिहार के हिन्दू मुसलमान आम तौर पर बोलते हैं और जो नागरी यां उर्दू रस्म ख़त में लिखी जाती है।' ('उर्दू' जुलाई सन् १९३७ पृ० ६५९), पर इससे विहार की उर्दू कमेटी वालों को सन्तोष न हुआ और उन्होंने सारे भारत के उर्दू प्रेमियों को जुटा कर निश्चित कर दिया :—

'हिन्दुस्तानी से मुराद वह ज़बान है जो इस मुल्क की हिन्दू मुसलमान कौमों के मेलजोल और एक दूसरे की तहज़ीब से मुतासिर होने से बनी है, जिसे शुमाली हिन्द के बाशिन्दे आम तौर से बोलते हैं और हिन्दुस्तान के दूसरे हिस्सों के रहने वाले समझते हैं, जो अरबी, फ़ारसी और संस्कृत के नामानूस लफ़्ज़ों से खाली है और जो उर्दू, देवनागरी या किसी दूसरे रस्म खत में लिखी जाती है।'

("उर्दू" पृ० ६६१)

२२ मार्च सन् १९३८ को विहार के उस समय के शिक्षा मंत्री डा० सय्यद महमूद की कृपा से पटना विश्वविद्यालय के सिडिकेट के कमरे में एक सभा डा० राजेन्द्र प्रसाद जी के सभापतित्व में हुई जिसमें हिन्दुस्तानी के विषय में यह कहा गया कि—

"हिन्दुस्तानी वह ज़बान है जो शुमाली हिन्द में मामूली बोल चाल में और आपस के मेल मिलाप के वक्त इस्तमाल की जाती है और जो हिन्दी और उर्दू की मुश्तरक बुनियाद है।"

("उर्दू" अप्रेल सन् १९३८ पृ० ४५५)

बिहार की उस हिन्दुस्तानी कमेटी ने उसी समय एक हिन्दुस्तानी लुग़त (डिक्शनरी) का बीड़ा उठा लिया और उसका सम्पूर्ण भार अंजुमन तरक्की उर्दू के प्राण स्वरूप मौलाना अब्दुल हक़ को सौंप दिया। जिससे यह स्पष्ट है कि अब हिन्दुस्तानी के नाम से उर्दू को ही भारतीयों पर लादने का यत्न किया जा रहा है। इसमें यदि किसी को अब भी सन्देह हो तो उन्हें याद रखना

चाहिये कि आल इण्डिया मुस्लिम एजुकेशनल कान्फ्रेंस में जो जुलाई सन् १६३७ में अलीगढ़ में हुई थी यह तजवीज़ पेश की गई थी कि 'उर्दू' की जगह 'हिन्दुस्तानी' नाम चालू किया जाए। साथ ही उसमें कहा गया था कि "यह समझना भी दुरुस्त नहीं कि इस तजवीज़ के पेश करने वालों का यह मक्सद है कि हम अपनी ज़बान में कोई ऐसी तबदीली कर लें जिससे वह हिन्दी या हिन्दवी के करीब बन जाए। हाशा व कला इस किस्म की कोई बात नहीं है बल्कि बयीनः उसी उर्दू उसी ज़बान, उसी बोलचाल को जो हम बोलते हैं हम हिन्दुस्तानी कहते हैं।

(अलीगढ़ मैगजीन जुलाई सन् १६३७)

यह सचमुच दुःख की बात है कि महात्मा गांधी जी तथा अन्य अनेक हमारे राष्ट्रीय नेता इस हिन्दुस्तानी के चक्कर में बुरी तरह फंस गये हैं और इस प्रकार विशुद्ध हिन्दी की उपेक्षा कर रहे हैं। महात्मा गान्धी जी का कथन कि प्रत्येक भारतीय हिन्दी उर्दू दोनों भाषाओं और देवनागरी और फ़ारसी दोनों लिपियों को सीखे यह यद्यपि देखने में सर्वथा निर्दोष प्रतीत होता है तथापि अव्यवहार्य होने के अतिरिक्त इस दृष्टि से हानिकारक भी है कि इसके अनुसार बहुत सम्भवतः महात्मा जी पर श्रद्धा के कारण हिन्दू तो उर्दू सीखना प्रारम्भ कर देंगे पर मुसल्मानों में से बहुत ही कम हिन्दी सीखने का यत्न करेंगे जिसका परिणाम यह होगा कि कुछ वर्षों बाद उर्दू जानने वा बोलने वालों की संख्या बहुत बढ़ जाएगी और तब उसे राष्ट्रभाषा होने का

दावा डंके की चोट से किया जाएगा। प्रत्येक बालक बालिका पर हिन्दी उर्दू दोनों भाषाओं का उसकी अपनी प्रान्तीय भाषा तथा अंग्रेजी के अतिरिक्त भार लादना भी सर्वथा अनुचित है। ऐसे प्रस्ताव के आधार पर महात्मा गान्धी जी का हिन्दी साहित्य सम्मेलन से पृथक् होना यद्यपि खेद जनक है तथापि उनके ऐसे विचारों के होते हुए वह अनिवार्य हो गया था। "हिन्दुस्तानी तालीमी सङ्घ' यह नाम ही जिस मनोवृत्ति का सूचक है हम उसका कभी अभिनन्दन नहीं कर सकते चाहे महात्मा गान्धी जी जैसे मान्य महानुभाव का वरद हस्त उसके ऊपर हो। देवनागरी लिपि अत्यन्त वैज्ञानिक और पूर्णलिपि है जिसका मुकाबिला फ़ारसी या रोमन लिपि किसी अवस्था में भी नहीं कर सकतीं।

हिन्दी प्रेमियों का कर्त्तव्यः—

अन्त में समस्त हिन्दी प्रेमियोंका ध्यान मैं इस आवश्यक विषय की ओर आकर्षित करते हुए उनसे अनुरोध करता हूँ कि वे राष्ट्र-भाषा संस्कृत निष्ठ हिन्दी को विशेष रूप से अपनाएँ जैसे कि महर्षि दयानन्द ने आदेश दिया था और उस दिन को लाने का पूर्ण प्रयत्न करें जिसके लिये स्वनामधन्य महर्षि ने कहा था कि 'मेरे नेत्र उस दिन को देखने के लिये आतुर हैं जब काश्मीर से कन्या कुमारी तक सब देशवासी एक ही भाषा को बोलने वा समझने वाले होंगे।'

राष्ट्रभाषा हिन्दी के क्रियात्मक प्रचारकों में महर्षि दयानन्द जी का नाम स्वर्णाक्षरों में लिखने योग्य है जिन्होंने न केवल

गुजराती मातृ भाषा होते हुए भी अपने सत्यार्थ प्रकाश आदि अमर ग्रन्थ हिन्दी भाषा में लिखे बल्कि रियासतों में हिन्दी को अदालती भाषा बनवाने के अतिरिक्त इस बात का अपने अनुयायियों द्वारा पूर्ण प्रयत्न 'मेमोरियल' आदि भिजवा कर किया कि हिन्दी ही राष्ट्रभाषा के रूप में शिक्षा का माध्यम बने। धर्म वीर स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज ने गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगड़ी में हिन्दी भाषा को विज्ञान, गणित, इतिहास, दर्शनशास्त्र, अर्थशास्त्र इत्यादि सब विषयों की उच्च शिक्षा का माध्यम बनाकर महर्षि की उसी शुभ इच्छा की पूर्ति का अत्यन्त प्रशंसनीय और अनुकरणीय कार्य किया।

अतः सभी आर्यों और आर्य कुमार कुमारियों का यह आवश्यक कर्तव्य है कि वे इस राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रचार में पूर्ण क्रियात्मक सहयोग दें। स्वयं हिन्दी का अच्छा अभ्यास करके वे वर्ष में कम से कम १० व्यक्तियों को हिन्दी सिखाने का दृढ़ व्रत लें और यथा सम्भव हिन्दी कक्षाओं, रात्रि पाठशालाओं, पुस्तकालयों और वाचनालयों की स्थापना द्वारा इस अपने व्रत की पूर्ति करके पुण्य के भागी बनें। केन्द्रीय हिन्दी रक्षा समिति (श्रद्धानन्द बाजार) देहली राष्ट्रभाषा हिन्दी के अधिकारों की रक्षार्थ डाक विभाग के अधिकारियों से जो निरन्तर पत्र-व्यवहारादि कर रही है तथा मासिक विज्ञप्ति पत्रों द्वारा (जिसका वार्षिक शुल्क केवल १) है) जनता का ध्यान निरन्तर अपने इस विषयक कर्तव्य की ओर आकर्षित कर रही है ऐसी संस्थाओं को पूर्ण क्रियात्मक सहयोग देना और राष्ट्रभाषा हिन्दी में अपना समस्त क्रियाकलाप करने के प्रतिज्ञा पत्र भरवाना आर्य कुमारों तथा अन्य सब राष्ट्रभाषा प्रेमियों को अपना परम कर्तव्य समझना चाहिये।

अवश्य पढ़िये

भारतीय डाक घरों में हिन्दी के पत्रों का अपमान क्यों ?

केन्द्रीय हिन्दी रक्षासमिति देहली द्वारा प्रकाशित

डाक विभाग के अनेक अधिकारियों की ओर से हिन्दी पत्र तथा पार्सल, मनीआर्डर आदि के विषय में जो अन्यायपूर्ण नीति बर्ती जाती रही है तथा उसके निराकरणार्थ केन्द्रीय हिन्दी रक्षा समिति देहली ने निरन्तर पत्र व्यवहारादि द्वारा जो प्रयत्न किया है उसका दिग्दर्शन इस पुस्तिका में कराया गया है। मूल्य केवल –)।। है।

अधिक संख्या में मंगवा कर हिन्दी के अधिकारों की रक्षा में आप भी सहयोग दीजिये।

निरंजनलाल गौतम, विशारद

मन्त्री—केन्द्रीय हिन्दी रक्षा समिति
श्रद्धानन्द बाज़ार, देहली।

केन्द्रीय हिन्दी रक्षा समिति देहली

इस समिति का मुख्य उद्देश्य हिन्दी के गौरव और अधिकारों की सब उचित उपायों से रक्षा करना है।

आप भी निम्न संकल्प पत्र भर कर उस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक हों।

संकल्प-पत्र

सेवा में,

श्रीमान् मन्त्री जी,

केन्द्रीय हिन्दी रक्षा समिति

श्रद्धानन्द बाजार, देहली।

मैं संस्कृत निष्ठ हिन्दी को राष्ट्रभाषा मानता हूँ और उसकी रक्षा का व्रत लेता हूँ। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये मैं अपना पत्र-व्यवहार, किन्हीं सर्वथा अनिवार्य परिस्थितियों को छोड़ कर, केवल हिन्दी में करूँगा और समस्त पत्रों, रजिस्ट्री वी० पी० तथा मनीआर्डर के पते हिन्दी में ही लिखूँगा। साथ ही अपने यहां "हिन्दी-रक्षा-समिति" की स्थापना करने का यत्न करूँगा।

मैं केन्द्रीय हिन्दी रक्षा समिति श्रद्धानन्द बाजार, देहली की सहायतार्थ ( ) रुपये भेजता हूँ।

ह०..........

नाम..

पद..

पता..

ता०......

(नोट—कृपया इसे भर कर हमारे पास लौटा दीजिये।)

भारतीय डाकघरों में

हिन्दी के पत्रों का अपमान क्यों ?

मृत पत्र कार्यालय (D. L. O.) क्या है ?

समाचार पत्र पढ़ने वाले भली भाँति जानते हैं कि डाक घरों में ऐसे पत्रों तथा पार्सलों के लिये जिनका पता अशुद्ध या अपूर्ण लिखा हो, मृत पत्र कार्यालय (D. L. O.) खुला है। अर्थात् जब डाक से भेजी जाने वाली किसी चिट्ठी या पार्सल के पहुंचने और भेजने वाले के स्थान का ठीक पता ज्ञात नहीं होता तो उसकी जांच और ठीक पता लिखने के लिए मृतपत्र कार्यालय (D. L. O.) भेज दिया जाता है। इस सम्बन्ध में यह नियम है कि जिस प्रान्त में अमुक पत्र या पार्सल डाला जाता है वह उसी प्रान्त के डी० एल० ओ० को भेजा जाता है।

प्रमुख मृतपत्र कार्यालय (D. L. O.) लाहौर, लखनऊ, पटना, कलकत्ता, नागपुर, कराची, बम्बई और मद्रास हैं।

मृतपत्र कार्यालय (D. L. O.) का दुरुपयोग—

हिन्दी के बढ़ते हुये प्रचार और राष्ट्रीय भावना की चेतना के साथ-साथ जनता की अभिरुचि अपने प्रत्येक कार्य राष्ट्रभाषा हिन्दी में करने की ओर प्रवृत्त हुई और वह दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। ऐसी अवस्था में यह स्वभाविक ही है कि हिन्दी प्रेमी जनता अपने पत्र व्यवहार में हिन्दी ही बरतें।

हिन्दी के पत्रों की डाकघरों में जैसे जैसे संख्या बढ़ती गई हिन्दी से अनभिज्ञ, साधारण हिन्दी जानने वाले अथवा ईर्ष्यालु कर्मचारियों ने हिदी के पत्रों को भी मृतपत्र कार्यालय (D.L.O).

में भेजना आरम्भ किया। यह प्रथा बहुत पुरानी नहीं है परन्तु जब से हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने का आन्दोलन बढ़ा और उर्दू जानने वालों ने इसका विरोध आरम्भ किया, तभी से हिन्दी के पत्रों को मृतपत्र कार्यालय (D. L. O.) भेजने की प्रथा अधिक रूप से चली है और सन् १६३५ के बाद से तो यह प्रथा उग्र रूप धारण कर चुकी है। हिन्दी के किसी पत्र के लिए यह नहीं कहा जा सकता कि वह मृतपत्र कार्यालय न जायेगा। कभी कभी तो हिन्दी से द्वेष रखने वाले कुछ कर्मचारी उत्तर भारत के हिन्दी के पत्रों को केवल तंग करने की भावना से मद्रास जैसे सुदूर मृतपत्र कार्यालय में भेज देते हैं, जो पत्र मृतपत्र कार्यालय भेजे जाते हैं उनमें से कई खो जाते हैं और जो यथास्थान पहुंचते हैं उनके पहुँचने में १ सप्ताह तक का विलम्ब प्रायः हो जाता है। पत्र डालने वाला आशा करता है कि वह दूसरे या तीसरे दिन अवश्य पहुँचना चाहिए परन्तु मृतपत्र कार्यालय जाने से कई बार आवश्यक कार्यों में बाधा पड़ जाती है और पत्र डालने का उद्देश्य पूरा नहीं होता।

केन्द्रीय हिन्दी रक्षा समिति और डाक विभाग

डाक घरों में हिन्दी के साथ हो रहे इस घोर अपमान को दूर कराने के लिये हिन्दी की कई संस्थाओं द्वारा तथा हिन्दी प्रेमी सज्जनों ने व्यक्तिगत रूप से बड़ा आन्दोलन किया परन्तु इस कार्य के लिये ही किसी विशेष संस्था के न होने के अभाव की पूर्ति के लिये केन्द्रीय हिन्दी रक्षा-समिति की स्थापना हुई। इस संस्था ने हिन्दी प्रेमी जनता से अनुरोध किया कि जिन सज्जनों के पास मृतपत्र कार्यालय (D. L. O.) की लगी मोहर के पत्र पहुंचे हों उन्हें हमारे पास भेजदें। इस प्रकार के कुछ पत्र प्राप्त होने पर डाकघरों से पत्र व्यवहार आरम्भ हुआ। इस सम्बन्ध

में समिति की नीति यह रही है कि किन्हीं विशेष अवस्थाओं को छोड़कर प्रतिमास (D. L. O.) से आने वाले पत्रों की सूची और असल पत्र सम्बन्धित प्रांतों के पोस्टमास्टर जनरल के पास भेजे जाते हैं। केंद्रीय हिंदी रक्षा समिति के १॥। वर्ष के लम्बे पत्र व्यवहार के फलस्वरूप जो उत्तर हमें डाक अधिकारियों से मिले हैं उनकी प्रतिलिपि हिन्दी अनुवाद सहित हम हिन्दी जगत् के सन्मुख रखते हैं।

(1) FROM ASSTT. DY. DIRECTOR GENERAL

I am directed to say that enquiries made in the matter show that as a result of instructions issued by the postmaster General Lahore from time to time regarding transcriptions of articles addressed in the Indian Languages, the situation has improved to a great extent. From statistics kept in the D.L.O. Lahore it appears that daily average receipt of articles written in Hindi during the month of May 1944 has, decreased considerably than befor. A vigilent watch is being kept in the D.L.O. Lahore to reduce this number still further. For this purpose the manager, D.L.O. Lahore has been directed to furnish to Post Master General Lahore, copies of error extract from taking up the matter with the Divisional Superintendents concerned in order to deal with the officials responsible for the carelessness

displayed by them in disposal of articles addressed in the Indian Languages in each individual case. It is hoped that the measure taken will reduce the number of articles consigned to D.L.O. Lahore by post offices in the Punjab and N.W.F. Circle.

निवेदन है कि (डी० एल० ओ० लाहौर गये पत्रों से) सम्बन्धित मामले में जांच करने से विदित हुआ है कि समय समय पर पोस्ट मास्टर जनरल लाहौर द्वारा भारतीय भाषाओं के पत्रों के पतों को उल्था करने विषयक प्रसारित सूचनाओं के कारण इस (डी० एल० ओ० जाने वाले पत्रों की) दशा में बहुत बड़ा सुधार हुआ है। डी० एल० ओ० लाहौर में रखी गई सूची के आधार पर विदित होता है कि मृत पत्र कार्यालय आने वाले हिन्दी पत्रों की दैनिक संख्या पहले की अपेक्षा बहुत कम हो गई है। इस संख्या को और भी घटाने की दृष्टि से डी० एल० ओ० लाहौर में कड़ी दृष्टि रखी जाती है। इस उद्देश्य से मैनेजर डी० एल० ओ० लाहौर को आदेश दिया गया है कि वे डी० एल० ओ० में आने वाले पत्रों की भूल सूची तैयार करके पोस्ट मास्टर जनरल लाहौर के पास भेजें जिससे कि ऐसे प्रत्येक पत्र के सम्बन्ध में डिवीजनल सुपरिन्टेन्डेन्ट अपने इलाके से सम्बन्धित उन पत्रों के साथ लापरवाही करने वाले अधिकारियों के साथ उचित कार्यवाही करें। आशा है इस कार्यवाही से पंजाब और फ्रन्टियर प्रान्त के पत्रों की संख्यां जो डी० एल० ओ० लाहौर भेजे जाते हैं, घट जायगी।

—अ० डि० डाइरेक्टर जनरल, नई देहली।

(2) FROM THE SUPERINTENDENT OF POST OFFICES, LOWER RAJPUTANA DN., AJMER.

...Necessary action against the official at fault has been taken. Inconvenience caused to you is much regretted. Post offices have been instructed in the matter.

जिस अधिकारी से ऐसी भूल हुई है उसके विरुद्ध कारवाई की गई है। आपकी असुविधाओं के लिये बहुत खेद है। डाकखानों को इस विषय में सावधान रहने की चेतावनी दी गई है।

(3) FROM THE PRESIDENCY POSTMASTER, BOMBAY. G.P-O.

"...Attention of all concerned has however been drawn to the irregularity and suitable steps have been taken to prevent a recurrence. The inconvenience and annoyance caused to you in this connection are regretted. 13-7-44

सभी कर्मचारियों का ध्यान इस भूल की ओर दिलाया गया है और उचित काम ऐसे किये गये हैं कि भविष्य में यह भूल न हो। आपकी असुविधा और असन्तोष के लिये दुःख है।

—प्रेज़ीडेन्सी पोस्टमास्टर, बम्बई

(4) FROM THE POSTMASTER GENERAL LAHORE.

"Necessary action has been taken against the official concerned who missent the articles to the D.L.O. 15-7-44

आपके १६-६-४४ के पत्र के सम्बन्ध में मैं सूचित करता हूं कि भविष्य में ऐसी भूल न होने देने के लिए उचित कारवाई की जा रही हैं। आपकी असुविधा के लिये खेद है। जिस कर्मचारी ने उन चीजों को डी० एल० ओ० भेजा था उसके विरुद्ध कारवाई की गई है।

—पोस्टमास्टर जनरल पंजाब लाहौर

(5) Addressed to the postmaster general Gwalior and U.P., the supdt. of post offices, Kangra and Rohtak and postmaster Lahore, chief postmaster Delhi.

"It has been complained by the Secretary, Hindi Raksha Samiti, Naya Bazar, Delhi that enclosed articles instead of being properly transcribed by the office of posting under your jurisdiction were sent to the D.L.O. Lahore which caused delay to their delivery. Kindly take steps that the irregularity is stopped and the articles written in Hindi are got transcribed at the office of posting and not sent to the D.L.O. Lahore.

2. The last 4 officers will please intimate why this has been done inspite of repeated instructions in this respect from this office.

Copy to the Secretary, Hindi Raksha Samiti, Naya Bazar, for Information with reference to his letter dated the 1/4-12-44. The inconvenience caused is regretted."

4.1-45.

पोस्टमास्टर जनरल लाहौर ने ता० ४-१-४५ को निम्नांकित सरकूलर अपने इलाके के डाक अधिकारियों के अतिरिक्त पोस्ट-मास्टर जनरल ग्वालियर और यू० पी० के पास भेजे हैं।

"हिन्दी रक्षा समिति नया बाजार (श्रद्धानन्द बाजार) ने शिकायत भेजी है कि संलग्न पत्रों को ठीक प्रकार उल्था करके यथास्थान भेजने के स्थान पर आपके इलाके के अधिकारियों ने इन्हें डी० एल० ओ० लाहौर भेज दिया जिससे उनके पहुंचने में अनावश्यक विलम्ब हुआ। कृपया इस विषय में उचित कार्य-वाही कीजिए जिससे कि यह अनियमितता बन्द हो जाय और हिन्दी के पत्रों को पोस्ट करने वाले आफिसों में ठीक प्रकार उल्था किया जाये और उन्हें डी० एल० ओ० लाहौर न भेजा जाय।

अन्तिम चार अधिकारी (सुपरिंटैण्डट आफ पोस्ट आफिसिस काँगड़ा तथा रोहतक और पोस्टमास्टर लाहौर तथा चीफ पोस्ट-मास्टर देहली) कृपया यह बताने का कष्ट करें कि इस विषय में इस कार्यालय से बार बार आदेशों के प्रसारित होने पर भी अनि-यमितता क्यों की गई है।"

FROM THE POSTMASTER GENERAL LUCKNOW

"... ..I have honour to say that suitable Action has since been taken against the official responsible for the irregularity.

The inconvenience caused to you is much regretted.

विदित हो कि अनियमितता के लिए जिम्मेवार अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जा चुकी है।

आपको जो असुविधा हुई उसके लिए खेद है।

—पो० मा० जनरल, लखनऊ

(5) FROM THE SUPERINTENDENT R.M S. DELHI.

"I have the honour to say that action is being taken against the official responsible for misrouting of the P.C. under reference towards D.L.O. Madras. As regards general complaint it may be added that arrangements are already in existence for transcribing the post towns of destination written in Hindi into English and the staff working on the spot is being instructed to take more pains to avoid such irregularities in future. The inconveniencc caused to you is however much regretted."

I have the honour to say that the matter is under my personal observation and efforts are being made to remove the defects which have become the source of your annoyance. Certain changes have been ordered to set the matters right and am confident that this will end the trouble in future. Action is also being taken againt the officials responsible for the irregularity and the staff has further been instructed to take more care in this respect."26-12-44.

सूचित हो कि जिस अधिकारी ने सम्बन्धित पोस्टकार्ड को डी० एल० ओ० मद्रास भेजा था उसके विरुद्ध उचित कार्यवाही की जा रही है। प्रायः आनेवाली शिकायतों के सम्बन्धमें निवेदन

है कि हिन्दी के पतों के डाकघरों के स्थानों के नाम अंग्रेजी में उल्था करने के लिए पूर्व से ही हमारे यहां प्रबन्ध है और यहां के कर्मचारियों को इस सम्बन्ध में और भी तत्पर रहने के लिये निर्देश दिया जा रहा है जिससे इस अनियमितता को भविष्य में रोका जा सके। आपकी असुविधा के लिये खेद है।

यह मामला मेरी निजी दृष्टि में है और इस कमी को जिसके कारण आपको कष्ट हुआ है उसे दूर करने का भरसक प्रयत्न हो रहा हैं। कुछ ऐसे परिवर्तन किये गये हैं जिससे कि यह मामला ठीक हो जाय और मुझे विश्वास है कि भविष्य में इन परिवर्तनों से कठिनाई का अन्त हो जावेगा। इस अनियमितता से सम्बन्ध रखने वाले अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जा रही है। और इस सम्बन्ध में और भी अधिक ध्यान देने के लिये निर्देश किया गया है। असुविधा के लिये खेद है।"

—सुपरिटेंडेंट आर० एम० एस० देहली।

डाक विभाग के नियमों में नये परिवर्तन

जैसा कि हिन्दी प्रेमी जानते हैं, केन्द्रीय हिन्दी रक्षा समिति श्रद्धानन्द बाजार, देहली की ओर से डाकघरों में हिन्दी को उचित स्थान दिलाने के लिए प्रारम्भ से ही पत्र व्यवहार चल रहा है। सन् १९४४ में जो भी पत्र-व्यवहार हुआ उसे संक्षेप से "भारतीय डाकघरों में हिन्दी पत्रों का अपमान क्यों ?" पुस्तिका द्वारा जानकारी कराई जा चुकी है। अब हम अपने उत्सुक हिन्दी प्रेमियों के सम्मुख १९४५ में डाक विभाग से हुए पत्र-व्यवहार को भी संक्षेप से रखते हैं। यद्यपि हम अपने प्रयत्नों में पूर्ण सफल नहीं हुए हैं तथापि हमारा प्रयत्न पूर्ववत् चल रहा है।

गत वर्ष डाक अधिकारियों की ओर से अनेक बार आश्वासन

मिलने पर भी कि हिन्दी के पत्रों को मृत पत्र कार्यालय न भेजा जावेगा, यह बुरी प्रथा बराबर चलती रही। (यद्यपि कुछ अंशों में इस दिशा में सुधार भी हुए) डाक विभाग के सम्मुख हिन्दी पत्रों के साथ डाक अधिकारियों द्वारा किये गये दुर्व्यवहार को बार बार उनके ध्यान में लाते हुए पूर्व आश्वासनों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया और डाक अधिकारियों के सम्मुख निम्नांकित दो मांगे रखीं जिससे हिन्दी के पत्रों को मृत पत्र कार्यालय भेजने से रोका जा सके —

(१) उत्तरी तथा मध्य भारत में डाले जाने वाले तथा वितरण होने वाले पत्रों को अंग्रेजी में उल्था न किया जाये।

(२) उत्तरी तथा मध्य भारत के डाकघरों के समस्त पुराने कर्मचारियों को हिन्दी सीखने के लिये बाध्य किया जाय और नई नियुक्तियों के समय कर्मचारियों को हिन्दी की कोई परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य किया जावे।

परन्तु असिस्टेन्ट डायरेक्टर जनरल डाक विभाग नई देहली ने हमें निम्नांकित उत्तर दिया—

"...Under the Departmental Rules the delivery of letters addressed in an Indian language which is not the Principal language of the locality is generally effected through D.L.O. s., where officials are posted for the purpose, and this naturally results in delay in the delivery of articles addressed in varnacular. To avoid this kind of delay however, orders have recently been issued to all concerned for making necessary arrangements to ensure that

complete address of articles addressed in a language which is, though spoken in the town of posting, is not spoken in the town of delivery, is transcrilud in English. It is hoped that this remedial measnre will considerably ease the present situation.

"डाक विभाग के नियमानुसार ऐसे पत्रों को जिनके पते डाक में डालने वाले स्थान की प्रमुख भाषा के अतिरिक्त किसी भिन्न भारतीय भाषा में लिखे गये हों मृत पत्र कार्यालय भेज दिया जाता है जहां समस्त भारतीय भाषाओं के ज्ञाता इस कार्य के लिये (पत्रों के पते अंग्रेजी में उल्था करने के लिये) नियुक्त किये जाते हैं और यह स्वाभाविक है कि ऐसे पत्रों के पहुंचने में बिलम्ब हो। तब भी इस प्रकार के बिलम्ब को दूर करने के लिये हाल ही में सम्बन्धित डाक बिभागों को आज्ञायें प्रसारित की गई हैं कि वे, ऐसी भारतीय भाषाओं के पत्रों के पूरे पतों को, जो डाक में डालने वाले स्थानों पर तो बोली जाती है परन्तु वितरण होने वाले स्थानों से भिन्न है, अंग्रेजी में उल्था करने का प्रबन्ध करें। आशा की जाती है कि इस उपचार से हिन्दी पत्रों की वर्तमान दशा में पर्याप्त सुधार होगा।"

परन्तु जैसा कि पाठक देखेंगे, इस पद्धति से तो जहां हिन्दी के पत्रों की स्थिति सुधरेगी वहां हिन्दी को डाक घरों में अधिकार मिलने में कठिनाई भी होगी। अबतक बहुत से पत्र बिना उल्था किये हुये भी डाक से भेजे जाते है और उनमें से कुछ मृतपत्र कार्यालय भेजे जाते हैं। परन्तु समस्त पते को उल्था करने से तो हिन्दी के चलन को धक्का पहुँचता है अतः हमने डाक विभाग को पुनः इस आशय का पत्र लिखा कि इस प्रकार समस्त पते को उल्था करने से तो डाक विभाग का कार्य और भी बढ़ जावेगा और हिन्दी के पत्रों को कार्य की अधिकता में मृतपत्र

कार्यालय की सैर करनी ही होगी। फिर हमारी मांग भी इस आज्ञा से पूरी नहीं होती।

इसके उत्तर में असिस्टेंट डाइरेक्टर जनरल डाक विभाग नई देहली ने उत्तर दिया:—

"...It may be mentioned that Hindi is written in different scripts and not in clear Devanagri characters and all these scripts can not be read by post office and R.M.S. officials Further a similar claim can be made for Urdu & other Indian languages. In consideration of these difficulties it has been prescribed that all candidates entering in the clerical service in post offices should pass a test in the Local Indian languages before confirmation. The postal clerks at the office of posting know the local language and Script and they transcribe in to English the address and the office of destination This may involve some delay, but it is inevitable in the Peculiar conditions obtaining in India which has a large number of languages and several Scripts. Adequate arrangements have been made by the department to reduce the delays in question as much as possible by posting additional clerk in large offieces for transription into English addresses written in Indian languages on all articles intended for delivery outside the province. From enquiries made into the matter it appears that there has of late, been marked inprovement in the matter of delivery of articles addressed in Indian languages and it is hoped that this improvement will continue."

"विदित हो कि हिन्दी कई लिपियों में लिखी जाती है और साफ़ देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती और ये समस्त लिपियां पोस्ट आफिस और आर० एम० एस० के अधिकारी नहीं पढ़ सकते। आगे इसी प्रकार की मांग उर्दू और अन्य भारतीय भाषाओं के लिये भी की जासकती है। इन सब कठिनाइयों को दृष्टि में रखते हुये यह निश्चय किया जा चुका है कि प्रत्येक लेखक जो पोस्टआफिस की नौकरी में आना चाहता है, स्थिर होने से पूर्व स्थानीय भारतीय भाषा में परीक्षा पास करे।

पोस्ट आफिस के लेखक जहां वे नियुक्त किये जाते हैं, वहां की स्थानीय भाषा और लिपि को जानते हैं, वे पतों को और पहुंचने के स्थान अंग्रेजी में उल्था करते हैं। इससे कुछ विलम्ब हो सकता है परन्तु भारतवर्ष की अनोखी स्थिति में जिसमें बहुत सी भाषायें और कई लिपियां हैं, यह अनिवार्य है। इस प्रकार के विलम्ब को यथा सम्भव दूर करने की दृष्टि से एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त में जाने वाले समस्त पत्रों पर भारतीय भाषा में लिखे पतों को अंग्रेजी में उल्था करने के लिये, डाक विभाग की ओर से बडे बड़े डाकघरों में अतिरिक्त लेखकों की नियुक्ति करके पर्याप्त प्रबन्ध कर दिया गया है।

इस सम्बन्ध में की गई जाचों के परिणाम स्वरूप यह विदित हो चुका है कि भारतीय भाषाओं के पते वाले पत्रों के वितरण के विलम्ब की दशा में सुधार हुआ है और आशा है कि यह सुधार जारी रहेगा।"

परन्तु इस पत्र के उत्तर में समितिकी ओर से इस आशय का पत्र लिखा गया कि यह कहना सर्वथा अशुद्ध है कि हिन्दी कई लिपियों में लिखी जाती है और देव नागरी अक्षर साफ नहीं लिखे जाते इसलिए सब लिपियां नहीं पढ़ी जा सकती। वस्तुता मांग इस बात की है कि डाकघरों के लेखक हिन्दी न जान ने के

कारण हिन्दी के पत्रों को मृतपत्र कार्यालय भेज देते हैं। हिन्दी की बहुत सी लिपियों वाली बात तो उन लोगों की ओर से उठाई जाती है जो हिन्दी की उन्नति को सहन नहीं कर सकते। हिन्दी के पत्रों को इसलिये मृतपत्र कार्यालय नहीं भेजा जाता कि वे पढ़े नहीं जाते, वस्तुस्थिति तो यह है कि डाकघरों के लेखक हिन्दी न जानने के कारण भी उल्था करने की दिक्कत से बचने के लिए हिन्दी के छपे पते वाले पत्रों को भी मृतपत्र कार्यालय भेज देते हैं। हिंदी के पत्रों की अंग्रेजी में उल्था न करने की मांग को इसलिये अस्वीकार करना भी अनुचित है कि इसी प्रकार की मांग अन्य भारतीय भाषाओं की ओर से भी उठाई जावेगी। उत्तरी और मध्य भारत में प्रमुखता से बोली जाने वाली केवल हिन्दी, बङ्गला और उर्दू ही हैं जिनमें से उर्दू की मांग तो बिना मांगे ही क्रियात्मकरूप से स्वीकार हो चुकी है और बङ्गला भाषा हिन्दी से बहुत कुछ मिलती है अतः केवल हिन्दी की ही माँग है और मांग उस अवस्था में और भी न्याय संगत हो जाती है जब कि हम देखते हैं कि केवल हिन्दी पत्रों को ही मृतपत्र कार्यालय भेजा जाता है। अतः हमारी दोनों मांगों को स्वीकार करके ही हिन्दी के पत्रों को वितरण के विलम्ब और मृतपत्र कार्यालय भेजने की अनियमित कारवाही से रोका जा सकता है। इसके उत्तर में असिस्टेंटडिप्टी डाइरेक्टर डाकविभाग ने पुनः वही आश्वासन दुहराया है कि एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त में और एक प्रान्त के विविध भाषा भाषी जिलों के पत्रों के पतों को अंग्रेजी में उल्था करने के लिये अतिरिक्त लेखकों की नियुक्ति की गई है और इससे स्थिति सुधरेगी। परन्तु अपनी दोनों माँगों को स्वीकार कराने के लिये हमारा पत्रव्यवहार अभी चालू है और इस में सफलता की हमें आशा भी है।

डाक विभाग की हिन्दी के समस्त पत्रों के पतों को उल्था

करने की नवीन घोषणा के स्पष्टी करण के लिये जब हमने पूछा कि क्या ऐसे हिन्दी के पत्रों के पतों को भी जो समान भाषा भाषी एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त को या एक जिले से दूसरे जिले को भेजे जाते हैं, अंग्रेजी में उल्था किया जावेगा इसके उत्तर में में हमें पोस्टमास्टर जनरल पंजाब, लाहौर ने निम्नलिखित उत्तर भेजा है :—

"......According to the order of the Director general recently received on the subject (Transcription in to English of Articles addressed in Hindi) indicated above articles posted in a province and intended to be delivered within the same province where there are different district Languages known to people in the particular district, are at present required to be transcribed in to English by the office of posting. In other cases such articles will not be transcribed. Necessary instructions on the subject are being issued to all post offices in this circle and it is hoped that the revised procedure now being introduced will minimise the cases of delay to such articles."

"......हिन्दी के पते वाले पत्रों को अंग्रेजी में उल्था करने विषयक डाइरेक्टर जनरल की तत्कालीन आज्ञाओं के अनुसार यदि एक प्रान्त में डाले गये पत्रादि जो उसी प्रान्त में वितरित होने हैं, परन्तु जहां के जिलों में भिन्न २ भाषाएं बोली जाती हैं, तो ऐसे भिन्न भाषा भाषी विशेष जिले के पत्रों को सम्प्रति अंग्रेजी में उल्था करने की आवश्यकता होगी। इसके विरुद्ध दशा में पत्रों को अंग्रेजी में उल्था करने की आवश्यकता न होगी। इस विषय में आवश्यक आदेश इस क्षेत्र के समस्त डाक घरों को दिए जारहे हैं, आशा है इस संशोधित विधि से, जो

अब प्रचलित की जारही है, विलम्ब से वितरण किये जनेवाले पत्रों की संख्या कम हो जावेगी।"

पोस्ट मास्टर जनरल लाहौर ने डाकघरों में भाषा नीति का स्पष्टिकरण करते हुए लिखा हैं—

"......I have the honour to say that all Vernacular letters (including Hindi also) are treated in the same manner as English written articles."

विदित हो कि कुल भारतीय भाषाओं के पत्रों के साथ जिन में हिन्दी भी सम्मिलित है उसी प्रकार का व्यवहार होता है जैसे अंग्रेजी भाषा में लिखे पत्रों के साथ।

प्राप्त अधिकारों का लाभ उठाइये

परन्तु इन व्यवस्थाओं का लाभ तभी हो सकता है जब कि हिन्दी जगत् इन अधिकारों का उपभोग पूरी तरह करे। हम जितना अधिक अपने प्रत्येक कार्य में और विशेष कर पत्र व्यवहार में तथा पते लिखने में हिन्दी को अपनायेगें उतनी ही हिन्दी की रक्षा हम कर सकेंगे। यदि आज हमारे हिन्दी के समस्त दैनिक समाचार पत्र जो हजारों की संख्या में प्रतिदिन डाक से जाते हैं, अपने पते केवल हिन्दी में लिखें और समस्त हिन्दी जगत यह निश्चय करलें कि वह अपना पत्र व्यवहार हिन्दी में करेगा और पते हिन्दी में लिखेंगा और यदि हम डाकघरों को हिन्दी के पते वाले पत्रों से भर दें तो डाकघरों में हिन्दी का अपमान न हो।

निरंजनलाल गौतम "विशारद"
मन्त्री—केन्द्रीय हिन्दी रक्षा समिति, श्रद्धानन्द बाजार, देहली।

चन्द्र प्रिन्टिङ्ग प्रेस, देहली। [मूल्य-)॥